एस्ट्रोसैट अभिसंग्रही डेटा का उपयोग करने

के लिए

अवसर की घोषणा

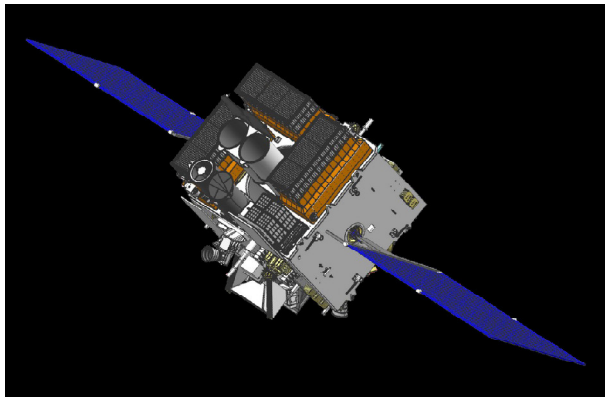

अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम कार्यालय

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन

बेंगलूरु – 560 094

अप्रैल, 2021

1. ए.ओ. का विवरण

एस्ट्रोसैट खगोल विज्ञान के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह है। एस्ट्रोसैट बहुतरंगदैर्ध्य उपग्रह है तो प्रकाशिक/पराबैगनी से लेकर कठोर एक्स किरणों तथा मृदु एक्स किरणों तक निरंतर प्रेक्षण करने में समर्थ है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) एस्ट्रोसैट अभिसंग्रही डेटा का उपयोग करके वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य करने के लिए "अवसर की घोषणा" का विवरण प्रदान करता है। एस्ट्रोसैट के ऑनबोर्ड चार परीक्षणों जैसे परा-बैगनी प्रतिबिंबण दूरदर्शी (यू.वी.आई.टी.), मृदु एक्स-किरण दूरदर्शी (एस.एक्स.टी.), बृहद क्षेत्र एक्स-किरण समानुपालिक गणक (एल.ए.एक्स.पी.सी.) तथा कैडमियम जिंक टेलुराइड प्रतिबिंबन (सी.जेड.टी.आई.) का डेटा आम जनता के लिए खुला है। सभी चार नीतभार ब्रह्मांडीय स्रोतों के उभय दृष्टि क्षेत्र में निरंतर प्रेक्षण करने के लिए परस्पर संरेखित हैं। एस्ट्रोसैट के ऑनबोर्ड पांचवें नीतभार क्रमवीक्षण नभ मॉनीटर (एस.एस.एम.) का डेटा वर्ष 2016 से सार्वजनिक उपयोग के लिए खुला है।

यू.वी.आई.टी. विभिन्न बैंडों में निकट यू.वी. (एन.यू.वी.: ~ 1.4") तथा दूर यू.वी. (एफ.यू.वी.:लगभग 1.2") में उच्चतम स्थानिक विभेदन प्रतिबिंब प्रदान करता है। एल.ए.एक्स.पी.सी. के पास अपने प्रकार के किसी अन्य संसूचक की तुलना में उच्चतम संग्रहण क्षेत्र (~ 10,800 वर्ग से.मी.) है तथा यह विस्तृत-बैंड स्पेक्ट्रमिकी (3-60 के.ई.वी.) तथा द्रुत समय डेटा (~ 10 μs) प्रदान कर सकता है जबकि एस.एक्स.टी. और सी.जेड.टी.आई. क्रमश: मृदु तथा कठोर एक्स–किरण बैंडों में प्रतिबिंबण, वर्णक्रमी तथा समय संबंधित सूचना प्रदान करने में सक्षम हैं। सभी चार नीतभारों का संयुक्त डेटा यू.वी. से लेकर अति उच्च ऊर्जा एक्स-किरणों तक में निरंतर अप्रत्याशित ब्रॉडबैंड कवरेज प्रदान करता है।

एट्रोसैट से प्राप्त डेटा से 150 से अधिक प्रकाशन हुए हैं, जो अभिवृद्धि द्विआधारों, ए.जी.एन., तारा बनाने वाले क्षेत्रों, जी.आर.बी., तारा प्रस्फोट तारामंडलों, प्रज्वाल तारों आदि जैसे ब्रम्हांडीय स्रोतों के अनेक प्रकारों पर प्रकाश डालते हैं।

यदि कोई स्वामित्व अवधि है, तो उसके बाद एस्ट्रोसैट वेधशाला के चार नीतभारों का डेटा अभिसंग्रही डेटा के रूप में वैज्ञानिक समुदाय के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

एस्ट्रोसैट अभिसंग्रही डेटा का उपयोग करने के लिए देश के खगोल समुदाय को प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं। यह अवसर की घोषणा (ए.ओ.) भारतीय वैज्ञानिक समुदाय के लिए खुला है, ताकि किसी ओर/या सभी परीक्षणों से प्राप्त एस.आर.टी. का उपयोग करने के लिए वे अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकें।

एस्ट्रोसैट द्वारा प्रेक्षित स्रोतों के बारे में सूचना, प्रेक्षण विवरण तथा सार्वजनिक रिलीज दिनांक भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान डेटा केंद्र (आई.एस.एस.डी.सी.) के http://astrosat-ssc.iucaa.in. पर उपलब्ध है। प्रयोक्ता एस्ट्रोब्राउज से भी डेटा डाउनलोड कर सकते हैं।

एस्ट्रोसैट प्रेक्षणों तथा डेटा उपयोग में सहायता देने के लिए एस्ट्रोसैट सहायता प्रकोष्ठ (ए.एस.सी.) नामक एक सहायता प्रकोष्ठ आई.यू.सी.ए.ए., पुणे में स्थापित किया गया है। अंशांकन डेटा जैसे सहायक डेटा के साथ-साथ सभी आवश्यक सॉफ्टवेयर उपकरण ए.एस.सी. से http://astrosat-ssc.iucaa.in. पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।

अंतिम उत्पाद हीसॉफ्ट जैसे मानक एक्स-किरण विश्लेषण सॉफ्टवेयर तथा आई.आर.एफ. जैसे प्रकाशिक विश्लेषण सॉफ्टवेयर के अनुकूल हैं। पूर्ण विस्तृत विश्लेषण निर्देशों के साथ दस्तावेज भी ए.सी.एस. पर उपलब्ध हैं। एस्ट्रोसैट डेटा, विश्लेषण आदि से संबंधित किसी सहायता के लिए प्रयोक्ता asc-help@iucaa.in. के माध्यम से ए.एस.सी. से संपर्क कर सकते हैं।

1.1 ए.ओ. का कार्यक्षेत्र:

इस ए.ओ. के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का एक विशेषज्ञ समिति जांच तथा समीक्षा करती है। इस ए.ओ. के माध्यम से चयनित परियोजना को शोध छात्र के वेतन, अभिकलनात्मक सुविधा, आकस्मिक व्यय तथा सम्मेलनों, परियोजना बैठकों और कार्यशालाओं में उपस्थित होने के लिए सीमित घरेलू यात्रा आदि की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीमित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रारंभ में इस परियोजना की अवधि तीन वर्ष के लिए होगी। अत:, परियोजना में शोध छात्र को या तो पहले वर्ष (अधिमानत:) या दूसरे वर्ष के दौरान नियुक्त किया जाना चाहिए। पीएच.डी. पंजीकरण, कार्य की प्रगति, छात्र के पीएच.डी. कार्य की स्थिति आदि मामलों में परियोजनाओं की अवधि अधिकतम 4 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है।

1.2 प्रस्ताव कौन प्रस्तुत कर सकता है?

भारत के विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थाओं के वैज्ञानिक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। केवल वे ही मुख्य अन्वेषक (पी.आई.) के रूप में परियोजना का नेतृत्व करने के पात्र हैं जिनकी अधिवर्षिता से पहले कम से कम चार वर्ष की सेवा शेष हो। संस्था प्रमुख को एस्ट्रोसैट ए.ओ. कार्यक्रम (कृपया अनुलग्नक 3 देखें) के अंतर्गत परियोजना पूरा करने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने हेतु समुचित आश्वासन के साथ, प्रस्तावों को अग्रेषित करना चाहिए।

2 प्रस्तावों का मूल्यांकन

एस्ट्रोसैट हैंडबुक (https://astrobrowse.issdc.gov.in/docs/as1/AstroSat-Handbook-v1.pdf) में दिये एस्ट्रोसैट मिशन के सभी लक्ष्यों के साथ, सक्षम मुख्य अन्वेषकों (पी.आई.) के लिए इस अवसर की घोषणा का उद्देश्य खगोलिकी तथा खगोल भौतिकी में शोध कार्य को बढ़ावा देना, एस्ट्रोसैट डेटा का उपयोग करके नए तथा प्रासंगिक विश्लेषण तकनीकियों के विकास को प्रोत्साहित करना तथा एस्ट्रोसैट डेटा का इस्तेमाल करके नए खगोल भौतिकीय विज्ञान के बारे में अधिक जानने के लिए प्रासंगिक तथा नवोन्मेषी विश्लेषण उपकरण को विकसित करना है। इस हेतु, इस ए.ओ. की प्रतिक्रिया प्राप्त प्रस्तावों को प्रमुख रूप में वैज्ञानिक/तकनीकी

गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन किया जाएगा। एक समिति प्रस्तावों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करेगी। प्रस्तावों के चयन में अन्य बातों के साथ-साथ विचारित मानदण्ड निम्नलिखित होंगे:

- प्रस्तावों की समस्त वैज्ञानिक एवं तकनीकी गुणवत्ता, अद्वितीयता तथा नवोन्मेषी क्रियाविधि, प्रदर्शन हेतु नियोजित उपागम तथा अवधारणाएं।
- एस्ट्रोसैट तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय डेटा सेटों का सहक्रियाशील उपयोग करके नवोन्मेषी विज्ञान में योगदान की क्षमता।
- प्रस्तावित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मुख्य अन्वेषकों (पी.आई.) और/या सह-अन्वेषकों की दक्षता तथा संबंधित अनुभव।

सामान्यत:, समान अन्वेषकों पर केंद्रित अनेक परियोजनाओं के चयन की परिकल्पना की गई है।

विश्वविद्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थाओं के प्रस्तावों को वरीयता दी जाएगी।

3 प्रस्ताव तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश

सक्षम पी.आई. को निम्नलिखित खंडों में बताए गए प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। आमुख पृष्ठ के लिए प्रारूप **अनुलग्नक-1** में दिया गया है। विस्तृत प्रस्ताव के लिए प्रारूप **अनुलग्नक-2** में दिया गया है।

प्रस्ताव के लिए प्रारूप में मुख्य अन्वेषक तथा संस्था प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित की जाने वाली घोषणा भी शामिल है।

3.1 प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

प्रस्ताव ए4 आकार के कागज पर लगभग 10 पृष्ठों में सीमित, दो लाइनों के अंतराल में टंकित तथा निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए। **अनुलग्नक-1** तथा **अनुलग्नक-2** में दिए गए प्रारूपों में तैयार किए प्रस्तावों की दो प्रतियाँ निम्नलिखित पर ई-मेल की जानी चाहिए:

कार्यक्रम प्रबंधक (खगोल विज्ञान), एस.एस.पी.ओ.
समन्वयकर्ता, खगोल विज्ञान आंकड़ा उपयोगिता ए.ओ.,
इसरो मुख्यालय, न्यू बी.ई.एल. रोड
बेंगलूरु – 560 231
दूरभाष: +91 - 80 - 2217 2070, ई-मेल: sspo@isro.gov.in

3.2 प्रस्ताव का विवरण

प्रस्ताव के मुख्य भाग में सारांश शामिल होना चाहिए (परियोजना का उद्देश्य, प्रक्रिया, मुख्य उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण तथा समय सारणी), जिसमें उद्देश्यों तथा विचार किए जाने वाले वैज्ञानिक तर्काधार के विस्तृत विवरण का अनुसरण किया जाना चाहिए। आंकड़ा आवश्यकता तथा विश्लेषण पद्धतियों की विशेषताओं को उल्लेखित किया जाना चाहिए। कार्य प्रणाली अथवा पहुँच का अनुसरण तथा परियोजना के कार्य से अपेक्षित

परिणामों का संक्षेपण किया जाना चाहिए। समापन तिथि को शामिल करते हुए परियोजना के विभिन्न चरणों के लिए लक्ष्य की गई समय-सारणी को इंगित करना चाहिए।

3.2.1 आंकड़ों हेतु आवश्यकताएं

धारा 3.2 में विवरण के अनुसार, प्रस्तावित अध्ययन के लिए प्रस्ताव को मुख्य रूप से एस्ट्रोसैट आंकड़ों की पहचान तथा उपयोग करना चाहिए। परियोजना प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से अध्ययन का क्षेत्र तथा आवश्यक डेटा सेट को इंगित करना चाहिए। एस्ट्रोसैट द्वारा अर्जित आंकड़ों का विवरण आई.एस.एस.डी.सी. की वेबसाइट http://www.issdc.gov.in/astrosat से प्राप्त किया जा सकता है तथा इसे एस्ट्रोब्राउज़ का उपयोग करते हुए आई.एस.एस.डी.सी. बेंगलूरु की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रयोक्ताओं को चाहिए कि वे एस्ट्रोब्राउज़ के सर्च/ब्राउज़ की पहुँच से पहले पंजीकरण कर लें।

3.2.2 कार्मिक

इस परियोजना से संबंधित संस्थान (संस्थानों) से कई व्यक्तियों को शामिल करते हुए संयुक्त प्रयास शामिल हो सकते हैं। हालांकि, केवल एक पी.आई. को ही मान्यता दी जाएगी। अन्य प्रतिभागियों को "सह-अन्वेषक" के रूप में मनोनीत किया जा सकता है। पी.आई./सह-अन्वेषक को शैक्षिक अर्हताएं, संबंधित क्षेत्रों में निष्पादित कार्य तथा **पाँच** सुसंगत प्रकाशनों का संदर्भ देते हुए संक्षिप्त (एक पृष्ठ) जीवन वृत्त प्रस्तुत करना चाहिए। परियोजना के समय पर समापन को सुनिश्चित करने के लिए पी.आई. उत्तरदायी है। संस्थान (संस्थानों) के प्रमुख द्वारा पी.आई. तथा सह-अन्वेषकों को आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यय सहायता का आश्वासन अनिवार्य है।

3.2.3 सुविधाएं तथा उपस्कर

इस परियोजना के लिए आयोजक संस्था या सह-संस्था में उपलब्ध कंप्यूटर सुविधाओं, विश्लेषण सॉफ्टवेयर टूल/पैकेज तथा अन्य उपकरणों का उल्लेख करें।

3.2.4 परियोजना मूल्यांकन

यह प्रस्तावित है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में ए.ओ. परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने तथा एस्ट्रोनामी समुदाय के साथ परिणामों के साझा करने के उद्देश्य के लिए प्रत्येक वर्ष के अंत में एक बैठक आयोजित की जाएगी। प्रत्येक परियोजना पी.आई. (ओं) से अपेक्षा की जाती है कि वे इन कार्यशालाओं में उपस्थित रहें तथा संबंधित परियोजना की प्रगति का ब्यौरा प्रस्तुत करें। दूसरे वर्ष के अंत में वैज्ञानिक प्रगति के आधार पर तीसरे वर्ष के लिए निधि होगी।

4. निबंधन एवं शर्तें

- इसरो के पास इस परियोजना हेतु किसी भी समय बिना कोई कारण बताए अपना समर्थन आंशिक अथवा पूर्ण रूप से वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है।

- इसरो के पास आंकड़ों का स्वामित्व अथवा प्रतिलिप्याधिकार अनुसंधान के लिए इस आंकड़ों की पूर्ति निःशुल्क की जाती है तथा इसका उपयोग किसी भी वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। वाणिज्यिक उपयोग के निर्धारण ऐसे उपयोग से है, जिसमें आंकड़ों के साथ-साथ पुनरुत्पादन की लागत से अधिक लागत के लिए प्राप्त आंकड़ों की बिक्री अथवा पुनःबिक्री शामिल हैं।
- दस्तावेज़ों सहित इस परियोजना द्वारा विशेष रूप से प्राप्त निधि से नवीन कार्य प्रणालियों का विकास, संपूर्ण/वैध सॉफ्यवेयर टूलों को प्रयोक्ता समुदाय के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
- प्रयोक्ता उचित जर्नलों में प्रकाशन अथवा अन्य स्थापित चैनलों द्वारा ए.ओ. परियोजनाओं के मुख्य परिणामों को वैज्ञानिक समुदाय के लिए उपलब्ध कराएगा।
- इसरो के सहयोग की अभीस्वीकृति ए.ओ. परियोजनाओं से उत्पन्न सभी रिपोर्टों एवं प्रकाशनों में कराई जाएगी। इसरो को इन अनुसंधान परियोजनाओं से निर्मित सभी प्रकाशनों की प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसरो के पास प्रकाशन के संदर्भ के साथ अपनी रिपोर्टों और प्रकाशनों में प्रकाशित परिणामों का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित है।
- इस वित्तीय अनुदान से निर्मित सभी प्रकाशनों का अभिस्वीकृती निम्न रूप से होगी,
  "लेखक एस्ट्रोसैट अभिलेखागार उपयोगीकरण कार्यक्रम के तहत इसरो के वित्तीय समर्थन की अभिस्वीकृति करता/करती है (करते हैं)। इस प्रकाशन में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के एस्ट्रोसैट मिशन द्वारा आंकड़ों का उपयोग होता है, जो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान आंकड़ा केंद्र (आइ.एस.एस.डी.सी.) में अभिलेखित है।"
- पी.आई. को इस परियोजना की अवधि के दौरान प्रत्येक छमाही में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। विस्तृत रिपोर्ट मध्यावधि एवं अंतिम समीक्षा के दौरान प्रस्तुत की जानी चाहिए।

पी.आई तथा संस्थान प्रमुख (अनुलग्नक-3) द्वारा प्रस्ताव प्रारूप में शामिल घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। अन्यथा प्रस्ताव वैध नहीं माना जाएगा और रद्द किया जा सकता है।

5. एस्ट्रोसैट का अवलोकन

प्रस्तावकर्ता एस्ट्रोसैट मिशन, नीतभारों एवं अन्य विवरणों के अवलोकन के लिए http:astrobrowse.issdc.gov.in/astro.html पर उपलब्ध एस्ट्रोसैट उपकरण हैंडबुक का संदर्भ लें।

अनुलग्नक - 1

प्रस्ताव का मुख पृष्ठ

प्रस्ताव का शीर्षक

पी.आई. का नाम एवं पदनाम

दूरभाष एवं ई-मेल का पता

संपूर्ण पते के साथ संस्था का नाम

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को दिनांक ..... को अवसर की घोषणा (ए.ओ.) प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया

नाम एवं पदनाम के साथ पी.आई. के हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम के साथ संस्था प्रधान के हस्ताक्षर

संस्था प्रधान की मुहर

अनुलग्नक - 2

प्रस्ताव का प्रारूप

1. प्रस्ताव का शीर्षक:

2. प्रधान अन्वेषक का नाम:
   संस्था:
   दूरभाष:
   ई-मेल:
   डाक का पता:
   एन.जी.ओ. दर्पण पंजीकरण सं./विशिष्ट आई.डी. :**
   पैन संख्या** :

3. प्रस्तावित कार्य का सारांश

4. संपन्न प्राथमिक कार्य/पृष्ठभूमिक अनुभव का विवरण, यदि कोई हो

5. संबंधित क्षेत्र में प्रकाशनों की सूची

6. परियोजना का विवरण
   - विषय
   - उद्देश्य
   - उपलब्धियाँ
   - अपेक्षित परिणाम

7. ए.ओ. परियोजना के सह-अन्वेषक(कों) का/के नाम (कृपया सभी अन्वेषकों के जीवन-वृत्त को शामिल करें)

8. आपके संस्था में उपलब्ध सुविधाएं एवं उपस्कर

**- यदि लागू हो। संस्था की पैन संख्या का उल्लेख करें

अनुलग्नक - 3

घोषणा का प्रारूप

घोषणा

हमने एस्ट्रोसैट के आंकड़ों का उपयोग करने हेतु अवसर की घोषणा (ए.ओ.) कार्यक्रम के अनुबंध एवं शर्तें सावधानीपूर्वक पढ़ ली हैं और हम उनका पालन करने के लिए सहमत हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि यदि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा ए.ओ. प्रस्ताव को स्वीकृति एवं समर्थन दिया जाता है, तो प्रस्ताव में चिह्नित सुविधाएं तथा परियोजना के निष्पादन के लिए हमारे संस्था में उपलब्ध आवश्यक प्रशासनिक सहायता प्रधान अन्वेषकों एवं अन्य सह-अन्वेषकों को प्रदान की जाएंगी।

मैं/हम यह प्रमाणित करता/करती हूँ/करते हैं कि हमें उक्त प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक उद्यम के किसी भी अन्य विभाग से इस अनुदान संबंधित अवधि के दौरान कोई भी सहायता अनुदान प्राप्त नहीं हुई है।

नाम एवं पदनाम सहित पी.आई. के हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम सहित संस्था प्रधान के हस्ताक्षर

दिनांक:

संस्था प्रधान की मुहर

इसरो अनुसंधान अनुदानों से संबंधित शर्तें एवं निबंधन

1. जब तक कि इसरो अन्यथा सहमत न हो, अनुमोदित निधियों का प्रयोग मात्र उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए, जिनके लिए प्रदान किया गया है। प्रत्येक समर्थन के बाद, अनुदानग्राही संस्थान द्वारा एक प्रमाणन प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह उल्लेख होगा कि निधियों का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया है।
2. इसरो के लिए इसरो द्वारा समर्थित कार्य के भाग का सभी प्रकार की रिपोर्टों तथा प्रकाशनों में नियत रूप से आभारोक्ति होनी चाहिए।
3. अनुदान की सहायता से संचालित अनुसंधान के परिणामस्वरूप सभी प्रकाशनों की दो प्रतियाँ इसरो को प्रस्तुत करनी होंगी।
4. रेस्पॉण्ड मानदंडों के अनुसार, किसी भी प्रकार की बौद्धिक संपदा अधिकारों या इसरो द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाली ऐसी सूचना/ज्ञान को बनाए रखने अथवा सृजन करने का अधिकार संयुक्त रूप से शैक्षिक संस्थानों/अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और इसरो के पास होगा। शैक्षिक संस्थान/अनुसंधान एवं विकास संस्था तथा इसरो, इसरो द्वारा प्रायोजित किसी भी परियोजना से उत्पन्न होने वाली किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करने से पहले एक-दूसरे को सूचित करना होगा। शैक्षिक संस्थान/अनुसंधान एवं विकास संस्था तथा इसरो को भारत में विद्यमान कानून, नियम एवं विनियम के अनुरूप सहयोग से उत्पन्न बौद्धिक संपदा अधिकारों की उपयुक्त सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। भारत में तथा विदेश में पेटेंट सुरक्षा के लिए होने वाले खर्च को समान रूप से संस्थान तथा इसरो द्वारा वहन किया जाएगा। इस पेटेंट के किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक दोहन के कारण हुए किसी/सभी वित्तीय प्रोद्भवन को समान रूप से 50:50 आधार पर बाँटा जाएगा। तथापि, किसी भी पक्षकार को गैर-वाणिज्यिक आधार पर अपने स्वयं के प्रयोग के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रयोग की आज़ादी होगी।
5. प्रमुख अन्वेषक को पूरे किए गए कार्य की प्रगति को दर्शाते हुए वार्षिक रिपोर्ट की दो प्रतियों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। उन्हें परियोजना के पूरा होने के बाद अनुसंधान/विकास के परिणामों पर व्यापक तकनीकी रिपोर्ट की दो प्रतियों को भी प्रस्तुत करना होगा। यह रिपोर्ट इसरो की संपत्ति बन जाएगी।
6. इसके अतिरिक्त, इसरो कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए आवधिक तौर पर संस्था का दौरा करने के लिए वैज्ञानिक/विशेषज्ञ को नामित कर सकता है।
7. इसरो की निधि से खरीदी गई वस्तुओं की सूची इसरो को भेजनी होगी, जिसमें उपकरण का विवरण, रुपए में उसकी लागत, क्रय का दिनांक, संस्था के प्रशासन से प्राप्त क्रय प्रमाण-पत्र सहित आपूर्तिकर्ता का नाम का ब्यौरा देना होगा। वे सभी उपकरण तथा उपभोज्य सामाग्रियों, जिनकी लागत रु. 5,000/- से अधिक हैं, इसरो की संपत्ति होगी तथा इसरो के पास परियोजना के पूरा होने पर उन्हें स्थानांतरित या उनका निपटान करने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा भी इसरो को सही लगे।
8. इसरो की निधि से किए गए खर्चों के लेखा का रख-रखाव उपयुक्त रूप से किया जाना चाहिए तथा इसको एक अनुमोदित लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। नियत ढंग से लेखापरीक्षा की गई अंतिम लेखा विवरणी की प्रति सहायता प्रदान किए गए प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में, जैसा भी मामला हो, वेतन एवं लेखा अधिकारी, अं.वि./वरिष्ठ लेखा अधिकारी, इसरो मुख्यालय को भेजनी होगी।
9. सहायता प्रदान की गई अवधि के दौरान यदि मंजूर की गई कुल राशि खर्च नहीं की गई है तो, बची हुई राशि परियोजना के पूरा होने के एक माह के भीतर, जैसा भी मामला हो, वेतन एवं लेखा अधिकारी, इसरो मुख्यालय को जमा करनी होगी।
10. इसरो के अनुदान से पूर्ण रूप या आंशिक रूप से अर्जित परिसंपत्तियों का बिना पूर्व मंजूरी के न तो निपटारा किया जा सकता है, न ही ऋणग्रस्त हो सकता है और न कि जिस उद्देश्य के लिए इन्हें मंजूरी दी गई है, उसके अलावा प्रयोग किया जा सकता है।
11. अनुदानग्राही संस्था द्वारा स्थाई तथा अर्ध-स्थाई परिसंपत्तियों की एक पंजिका का रख-रखाव किया जाना चाहिए, जोकि लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षित करने हेतु उपलब्ध होनी चाहिए।

12. अनुदानग्राही संस्था को, यदि वह उस कार्य को निष्पादित करने अथवा उसे पूरा करने की स्थिति में नहीं है तो सहायता अनुदान की राशि को अन्य संस्था के समान वस्तुओं के उपयोग के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, उस संस्था द्वारा तत्काल इसरो को अनुदान की संपूर्ण राशि वापस कर देनी चाहिए।

13. इसरो अनुसंधान अनुदानों की शर्तें एवं निबंधन समय-समय पर बदलती रहती है, परंतु किसी भी परियोजना का वित्त पोषण इसरो की निधि के साथ परियोजना को शुरू करने के दिनांक पर लागू शर्तों एवं निबंधनों द्वारा शासित होगा।

परिवर्णी शब्दों की सूची

ए.ओ.	-	अवसर की घोषणा
सी.जेड.टी.आई.	-	कैडमियम ज़िक टेल्यूराइड प्रतिबिंबत्र
डी.ओ.एस. (अं.वि.)	-	अंतरिक्ष विभाग
इसरो	-	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
एल.ए.एक्स.पी.सी.	-	बृहत क्षेत्र एक्स-किरण अनुपातिक काउंटर
एस.एस.एम.	-	क्रमवीक्षण आकाश मॉनीटर
एस.एस.पी.ओ.	-	अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम कार्यालय
एस.एक्स.टी.	-	मृदु एक्स-किरण टेलीस्कोप
यू.वी.आई.टी.	-	पराबैंगनी प्रतिबिंबन टेलीस्कोप
पी.आई.	-	प्रधान अन्वेषक
पी.एस.एल.वी.	-	ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट